जून 11, 2021 सरकारी आदेश 2021-12

सरकारी आदेश 2021-12
(कोविड-19 सरकारी आदेश सं. 81)

चरण 5 फिर से खोलने का आदेश:

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 1.38 मिलियन से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है एवं इसने 23,000 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, इलिनॉय निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना हमेशा ही, परंतु विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय राज्य सरकार के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और

जबकि, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

जबकि, कोविड-19 टीके कोविड-19 रोग, विशेष रूप से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी हैं; और,

जबकि, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention ("CDC")) सलाह देता है कि सम्पूर्ण रूप से वैक्सीन लगा चुके लोग[1] मास्क पहने बिना या 6 फीट की सामाजिक दूरी रखे बिना विभिन्न गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं, केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां संघीय, राजकीय, स्थानीय, जनजातीय, या प्रादेशिक कानूनों, नियमों, और विनियमों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक हो, जिसमें स्थानीय व्यावसायिक और कार्यस्थल संबंधी दिशानिर्देश भी शामिल हैं; और,

जबकि, CDC लगातार यह सलाह दे रहा है कि कपड़े के फेस कवरिंग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनका कोविड-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

जबकि, CDC की सलाह है कि स्कूलों को कम से कम 2020-2021 शैक्षिक स्कूल वर्ष की शेष अवधि तक K-12 स्कूलों के लिए CDC की परिचालन रणनीति में उल्लिखित कोविड-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखना चाहिए; और,

[1] लोगों को 2 खुराक वाली श्रृंखला जैसे पिफ्ज़र(Pfizer) या मॉडर्ना(Moderna) वैक्सीन्स के मामले में अपनी दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद, या एक खुराक वाली वैक्सीन जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का जानसेन(Johnson & Johnson) वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते बाद, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड माना जाता है। उन लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं माना जाता है जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, चाहे उनकी उम्र जो भी हो।

जबकि, CDC लगातार यह सलाह दे रहा है कि डे केयर प्रदाताओं को चाहिए कि वे स्वयं को (डे केयर प्रदाताओं) और अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, कोविड-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखें; और

जबकि, कोविड-19 के निरंतर प्रसार और आबादी का महत्वपूर्ण प्रतिशत जिसका अभी भी टीकाकरण नहीं हुआ है, को देखते हुए, मैंने अप्रैल 28, 2021 को घोषित किया कि इलिनॉय में COVID-19 के प्रसार के कारण वर्तमान परिस्थितियां इलिनॉय आपातकाल मैनेजमेंट एजेंसी अधिनियम की धारा 4 (Section 4 of the Illinois Emergency Management Agency Act) के तहत एक महामारी और लोक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न करती हैं; और,

जबकि, हाल के सप्ताहों में नए कोविड-19 मामलों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य मेट्रिक्स अब राज्य को कई शमन उपायों में ढील देने और उन्हें समाप्त करने की अनुमति देते हैं क्योंकि और अधिक निवासियों को टीका लगाया जा चुका है; और,

इसलिए, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं तुरंत प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

<u>चरण 5 फिर से खोलने का आदेश:</u>

1. **<u>इस सरकारी आदेश का आशय</u>।** इस सरकारी आदेश का उद्देश्य सुरक्षित रूप से और ईमानदारी से, और CDC मार्गदर्शन के अनुरूप, उन गतिविधियों का विस्तार करना है जो पूर्व में कोविड-19 महामारी के विरुद्ध राज्य द्वारा उठाए गए शमनकारी चरणों के दौरान सीमित थीं। यह सरकारी आदेश, सरकारी आदेश 2021-10 का स्थान लेता है।

2. **<u>लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।</u>** लोगों को अपने और अपने पड़ोसियों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए लोक स्वास्थ्य संबंधी निम्न कदम उठाने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है:

   a. **सामाजिक दूरी और लोक स्वास्थ्य के उपाय।** जिन व्यक्तियों का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है और जो अपने निवास के बाहर साझा स्थानों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें हर समय और यथासंभव उचित रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति से जो उनके साथ न रहता हो कम से कम छह फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। सभी लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोते रहें या हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें, खाँसी या छींक को कवर करें (बांह या कोहनी से, हाथ से नहीं), और नियमित रूप से अक्सर स्पर्श वाली सतहों को साफ करें।

   b. <u>चेह**रे के मास्क**</u>।[2] कोई भी व्यक्ति जिसका पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है और जो दो साल से अधिक उम्र का है और चिकित्सकीय रूप से चेहरे को ढंकने में सक्षम है (मास्क या कपड़े का फेस कवर) सार्वजनिक स्थान पर होने पर और छह फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में अक्षम होने पर अपनी नाक और मुंह को फेस कवर से ढंकना चाहिए।

   पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके लोगों सहित, सभी लोगों को CDC के दिशानिर्देश के अनुसार एक फेस कवरिंग पहनना पड़ेगी, जिसमें शामिल है (1) विमानों, बसों, ट्रेनों और किसी अन्य प्रकार के लोक परिवहन में और यातायात केन्द्रों में जैसे हवाई अड्डों और ट्रेन और बस स्टेशनों पर; (2) सामूहिक सुविधा केन्द्रों जैसे सुधार केन्द्रों और बेघर लोगों के आश्रयस्थलों में; और (3) स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में। स्कूलों, डे केयर परिवेश, और शिक्षा संस्थानों में

[2] इस संपूर्ण सरकारी आदेश में, फ़ेस कवर पहनने की आवश्यकता के सभी संदर्भों में दो वर्ष एवं इससे छोटे बच्चों को और ऐसे व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिनके लिए फ़ेस कवर पहनना चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इलिनॉय मानवाधिकार विभाग (Illinois Department of Human Rights) की ओर से फ़ेस कवर के उपयोग के बारे में मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face-Coverings_During_COVID-19_Ver_2020511b%20copy.pdf

लोगों को इलिनॉय स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन(Illinois State Board of Education), इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ चिल्ड्रेन एंड फैमिली सर्विसेज(Illinois Department of Children and Family Services), और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ(Illinois Department of Public Health) द्वारा जारी किए गए अलग दिशानिर्देशों का पालन करते रहना चाहिए।

c. **<u>वृद्ध व्यक्तियों और बीमारी के कारण कमज़ोर हो गए व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।</u>** जिन लोगों का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है और जो कोविड-19 के कारण गंभीर रुग्णता के उच्च जोख़िम में हैं, जिनमें वृद्ध लोग एवं ऐसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त लोग शामिल हैं जो उन्हें कमजोर बना सकती है, उनसे आग्रह है कि वे दूसरों से व्यक्तिगत संपर्क को अधिकतम संभव सीमा तक घटा दें।

d. **<u>सभाएं।</u>** चूंकि व्यक्तिगत संपर्क ही कोविड-19 के संचार का सबसे बड़ा जोख़िम उत्पन्न करता है, अतः इलिनॉय के वे निवासी जिनका पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे दूसरों के साथ व्यक्तिगत संपर्क को सीमित करना जारी रखें और अपने सामाजिक संपर्क को बेहद सावधानी के साथ विस्तार दें। उन निवासियों का जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, दूरस्थ रूप से एकत्र होना घर या निवास स्थान से बाहर के लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे सुरक्षित तरीका बना हुआ है।

e. **<u>बाहर खुले में जाएं।</u>** लोक स्वस्थ्य के दिशानिर्देश यह बताते हैं कि घर के अंदर रहने के विपरीत, बाहर खुले में होने पर कोविड-19 के संचार का जोख़िम काफ़ी घट जाता है। इलिनॉय के उन वासियों को जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, प्रोत्साहित किया जाता है कि जहां संभव हो वहां वे अपनी गतिविधियां बाहर खुले में संचालित करें।

3. **<u>व्यवसायों, अलाभकारी संस्थाओं, एवं अन्य संस्थाओं के लिए लोक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।</u>** इस सरकारी आदेश के प्रयोजन के लिए, इसमें शामिल किए गए व्यवसायों में सेवा की प्रकृति, किये जाने वाले कार्य, या कॉर्पोरेट या इकाई संरचना की परवाह किए बिना सभी लाभकारी, गैर-लाभकारी या शैक्षिक इकाई शामिल हैं। इन इकाइयों को अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, और अपनी गतिविधियों के कारण उनके भौतिक संपर्क में आने वाले अन्य सभी लोगों की सुरक्षा के लिए लोक स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित उपाय करने का आग्रह किया जाता है। इस सरकारी आदेश में उल्लिखित कोई भी बात, इन संस्थाओं को अधिक कड़े या लोक स्वास्थ्य के अतिरिक्त उपाय करने से नहीं रोकते हैं; इसके विपरीत, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और वे पूरी तरह से टीकाकरण किए हुए लोगों के लिए भी, चेहरा ढंकना और सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन करना जारी रख सकते हैं।

सभी व्यवसायों से आग्रह किया जाता है:

- यह सुनिश्चित करें कि वे कर्मचारी जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, सामाजिक दूरी बनाए रखें और जब सामाजिक दूरी हमेशा संभव न हो तब वे मुंह और नाक अवश्य ढ़ंकें;
- यह सुनिश्चित करें कि सभी स्थान जहां कर्मचारी एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें लॉकर रूम और लंचरूम शामिल हैं, वहां सामाजिक दूरी का पालन किया जा सकता है;
- यह सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल पर आने वाले सभी आगंतुक (ग्राहक, वेंडर, इत्यादि) जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, सामाजिक दूरी का पालन कर सकते हों, पर यदि छह फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना हमेशा संभव नहीं हो, तो उन आगंतुकों को चेहरा ढंकने के लिए प्रोत्साहित करें;
- हैंड सैनेटाइजर्स और सैनेटाइजिंग उत्पाद उपलब्ध करें।
- अतिसंवेदनशील आबादी के लिए छूट दें (अलग परिचालन घंटे या ऑनलाइन काम करना); और

- काम पर लौटने की किसी भी योजना में लोक स्वास्थ्य के सभी लागू होने वाले दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करके कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सभी जरुरी कदम उठाना जारी रखें।

4. **<u>छूट।</u>** निम्नलिखित छूट चरण 5 के साथ-साथ पिछले चरणों और स्तरों पर भी लागू होती हैं। मेरा इरादा, कोविड-19 के कारण जारी की गईं आपदा घोषणाओं के दौरान इन अपवादों को रद्द करने का नहीं है।

    a. **<u>स्वतंत्रता पूर्वक धर्मपालन।</u>** यह सरकारी आदेश स्वतंत्रता पूर्वक धर्मपालन को सीमित नहीं करता है। धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों, कर्मचारियों, धार्मिक समाज/ सभा के सदस्यों/ भक्तगणों और आगंतुकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा की देखभाल के लिए, धार्मिक संगठनों एवं उपासना गृहों और को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) और CDC से परामर्श करें और विभाग द्वारा अनुशंसित परिपाटियों एवं दिशानिर्देशों का पालन करें। धार्मिक संगठनों को अपने मंडलियों और आगंतुकों जिन्होंने पूर्ण टीकाकरण नहीं किया है, के लिए सावधानी बरतने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, कि वे सामाजिक दूरी, चेहरे को ढंकने और अन्य लोक स्वास्थ्य उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

    b. **<u>आपातकालीन कार्य।</u>** सभी प्रथम उत्तरदाता, आपातकालीन प्रबंधन कर्मी, आपातकालीन डिस्पैचर, न्यायालय कर्मी, कानून प्रवर्तन और सुधार कर्मी, खतरनाक सामग्री उत्तरदाता, बाल संरक्षण और बाल कल्याण कर्मी, आवास और आश्रय कर्मी, सैन्य, आपातकालीन प्रतिक्रिया को सपोर्ट करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से इस सरकारी आदेश से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें अनुशंसित लोक स्वास्थ्य उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

    c. **<u>सरकारी कार्य।</u>** यह सरकारी आदेश संयुक्त राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है और उन सभी सेवाओं को प्रभावित नहीं करता है जो राज्य या किसी भी नगर निगम, टाउनशिप, काउंटी, उपखंड या सरकार की एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती हैं और जो सरकारी एजेंसियों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने या जनता को स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशहाली प्रदान करने या उनकी सहायता करने के लिए आवश्यक है।

5. **<u>लागू करना</u>।** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 की धारा 7, धारा 15, धारा 18 धारा 19 और, अन्य विषयों के साथ, यह सरकारी आदेश राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन द्वारा लागू किया जा सकता है।

6. **<u>अधिकार पर कोई सीमा नहीं।</u>** इस सरकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं, जो किसी भी तरह से, राज्य या किसी भी काउंटी, या स्थानीय सरकारी निकाय के उस वर्तमान क़ानूनी अधिकार को बदलता हो या उसमें संशोधन करता हो जिसके द्वारा वह (1) किसी व्यक्ति को संगरोध या अलग रहने का आदेश दे जिसके लिए उस व्यक्ति को किसी विशेष आवासीय संपत्ति या चिकित्सा सुविधा के अंदर सीमित समय के लिए रहने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें इस लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति की अवधि भी शामिल है, या (2) इस लोक स्वास्थ्य आपातकाल की अवधि सहित सीमित अवधि के लिए किसी विशिष्ट स्थान को बंद करने का आदेश दे। इस सरकारी आदेश में निहित किसी भी बात का अर्थ किसी संगरोध (क्वॉरन्टीन), पृथकवास (आइसोलेशन), या बंदी का आदेश देने के किसी भी प्राधिकार के उपयोग के रूप में नहीं लिया जाएगा। इस सरकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी भी तरह से, किसी भी मौजूदा कानूनी प्राधिकार को परिवर्तित या संशोधित करता हो जो काउंटी या स्थानीय सरकारी निकाय को उन प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है जो इस सरकारी आदेश की तुलना में अधिक सख्त हैं।

7. **<u>सेविंग्स क्लॉज़</u>।** यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसे लागू किए जाने को सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश को लागू करने को प्रभावित नहीं करती

है, जिसे उस अवैध प्रावधान के बिना या उसे लागू किए बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है। यह सरकारी आदेश इस सरकारी आदेश के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के साथ-साथ पढ़े जाने के लिए है।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), **राज्यपाल**

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जून 11, 2021 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा जून 11, 2021 को दायर